[2018] 1 एस. सी. आर. 195

पी ए पी पी यू और ओ आर एस।

वी.

विनोद कुमार लाम्बा और ए. एन. आर.

(2017 की सिविल अपील संख्या 20962)

19 जनवरी, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर

और डॉ। डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

एस. 149 (2) (क) (ii) मोटर वाहन दुर्घटना-दायित्व

बीमा कंपनी-यह साबित करने की जिम्मेदारी कि उल्लंघन करने वाला वाहन अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया गया था-जिस पर-तथ्यों पर, उल्लंघन करने वाले ट्रक को जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मौत हो गई

-

निम्नलिखित न्यायालयों ने बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया।

ट्रक का सम्मान क्योंकि यह वैध लाइसेंस वाले व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः बीमा कंपनी को यह बचाव करने का अधिकार है कि उल्लंघन करने वाला वाहन एक व्यक्ति द्वारा चलाया गया था। अनाधिकृत व्यक्ति या वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था-उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक के अनुरोध करने और अपने ज्ञान के भीतर बुनियादी तथ्यों को साबित करने के बाद ही बीमा कंपनी पर ध्यान दिया जाएगा कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक को उसके द्वारा वाहन चलाने के लिए अधिकृत किया गया था और उसके पास संबंधित समय पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस था-तथ्यों पर, उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक ने ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कोई सबूत पेश नहीं किया।

एक चालक, अभिवचनों में किसी विशिष्ट रुख के बिना या इस सबूत के बिना कि वही चालक वास्तव में संबंधित समय पर वाहन चलाने के लिए अधिकृत था-बीमा कंपनी ने याचिका का स्पष्ट रूप से खंडन किया और यह भी कहा कि उल्लंघन करने वाला वाहन वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले अधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया गया था।

के संबंध में केवल एक वैध बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

उल्लङ्घन करने वाला ट्रक मालिक के लिए बीमा कंपनी को लापरवाही और लापरवाही से उत्पन्न होने वाले अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। अपने वाहन के

चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाना-इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को उचित कारणों से किसी भी दायित्व से उचित रूप से मुक्त कर दिया जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

मोटर वाहन दुर्घटना-बीमा कंपनी की देयता,

जब दोषमुक्त किया जाता है-वाहन के मालिक ने बीमा का उत्पादन किया

[2018] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह दर्शाने वाला प्रमाण पत्र कि वाहन का बीमा कंपनी द्वारा असीमित देयता के लिए व्यापक रूप से बीमा किया गया था-आयोजितः भले ही बीमाकर्ता अपना बचाव स्थापित करने में सफल हो जाता है, न्यायाधिकरण या न्यायालय बीमा कंपनी को दावेदार को पुरस्कार राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है और बदले में, वाहन के मालिक से उसी की वसूली कर सकता है-न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, बीमाकर्ता न्यायाधिकरण द्वारा दी गई दावा राशि का भुगतान करने के लिए जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दावेदारों को पहली बार में पुष्टि की गई है, कानून के अनुसार वाहन के मालिक से उसी की वसूली करने की स्वतंत्रता के साथ।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और ओआरएस। [2004] 1 एससीआर 180: (2004) 3 एस. सी. सी. 297-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2004] 1 एससीआर 180

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 20962

2017 से।

उच्च न्यायालय के 09.10.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2000 के आदेश सं. 1138 से पहली अपील में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था ए. एम. खानविलकर, जे. 1. यह अपील वैधता पर सवाल उठाती है।

और 9 अक्टूबर, 2014 के 2000 के आदेश से पहली अपील में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय की स्थिरता, जिसके तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जबकि इसके समक्ष उठाए गए एकमात्र प्रश्न को खारिज कर दिया गया था।

दायित्व

बीमा कंपनी (प्रत्यर्थी संख्या 2) को No.DIL-5955 वाले ट्रक के संबंध में, जिसका प्रत्यर्थी संख्या 2 बीमा कंपनी द्वारा विधिवत बीमा किया गया था, इस आधार पर कि वह वैध लाइसेंस वाले व्यक्ति द्वारा

संचालित नहीं था, जैसा कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जिला इलाहाबाद द्वारा 1999 की दावा याचिका No.215 में पाया गया था।

2. दावा याचिका में यह दावा किया गया था कि 12.08.1995 ओम पर

सतकूलाल के पुत्र प्रकाश ट्रक No.URS-2735 चला रहे थे, जब उसे जल्दबाजी और लापरवाही से चलाए जा रहे ट्रक No.DIL PAPPU v ने टक्कर मार दी।

विनोद कुमार लाम्बा [ए. एम. खानविलकर, जे.]

5955 विपरीत दिशा से आते हुए, जिसके परिणामस्वरूप ओम प्रकाश ने घातक चोटों के कारण दम तोड़ दिया। यह दावा याचिका मृतक ओम प्रकाश की विधवा ने दायर की थी। ओम प्रकाश अपने पीछे 16 साल की पप्पु, 12 साल की रामू, 14 साल की कुमारी गीता, 10 साल की कुमारी नीतू, 8 साल की कुमारी गुरिया और मां श्रीमती देवी को छोड़ गए हैं। शिव रानी, में दुर्घटना का समय। मृतक ओम प्रकाश की विधवा ने दोष देयता के तहत 7 लाख रुपये और नो फॉल्ट देयता के तहत 10,000 रुपये के मुआवजे का दावा किया। ओम प्रकाश की माँ ने अलग से Rs.50,000/- के मुआवजे का दावा किया। दुर्घटना के दिन ओम प्रकाश की आयु लगभग 35 वर्ष थी और वह पेशे से चालक थे।

3. उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए और इस न्यायालय के समक्ष दोहराए गए एकमात्र विवाद के संदर्भ में, हमारे लिए विस्तार करना आवश्यक नहीं है न्यायाधिकरण द्वारा विचार किए गए तथ्यात्मक पहलुओं पर यह कहने के अलावा कि न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर साक्ष्य के विश्लेषण पर यह अभिनिर्धारित किया कि ओम प्रकाश की मृत्यु लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई दुर्घटना के कारण हुई।

ट्रक No.DIL-5955। हालाँकि न्यायाधिकरण ने दावा याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी, लेकिन उसने कथित प्रतिवादी के खिलाफ दावा याचिका को खारिज करके प्रतिवादी संख्या 2 बीमा कंपनी को दोषमुक्त कर दिया। न्यायाधिकरण ने विरोधी पक्ष संख्या 3 शिव रानी को Rs.25,000/- और दावेदार संख्या 2/- को रु. 1 6 तक, याचिका की तारीख से भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ। दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी संख्या 1-उल्लंघनकारी वाहन डी. आई. एल.-5955 के मालिक के खिलाफ दावा याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी।

4. उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलकर्ताओं/दावेदारों द्वारा दायर अपील में, उच्च न्यायालय के समक्ष अनुरोध किया गया एकमात्र प्रश्न था

प्रतिवादी संख्या 2 बीमा कंपनी को दोषमुक्त करने में न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता, भले ही उल्लंघन करने वाले ट्रक No.DIL-5955 का उक्त बीमा कंपनी द्वारा विधिवत बीमा किया गया था। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि की कि इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कि ट्रक जोगिंदर सिंह द्वारा चलाया गया था, उल्लंघन करने वाले ट्रक के मालिक द्वारा कोई अभिवचन या कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जिनका ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि इस बात का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि जोगिंदर सिंह उल्लंघनकारी वाहन चला रहा था। अपीलकर्ताओं ने न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए उपरोक्त दृष्टिकोण पर हमला किया है।

5. अपीलार्थियों के अनुसार, बीमा कंपनी ने न्यायाधिकरण के समक्ष कोई सबूत पेश नहीं किया। नतीजतन, यह प्रतिवादी संख्या 2 बीमा कंपनी के लिए [2018] 1 एस. सी. आर. से खुद को बाहर निकालने के लिए खुला नहीं था।

दायित्व, जिसने उल्लंघन करने वाले वाहन डी. आई. एल.-5955 का विधिवत बीमा किया है, जो तथ्य है बीमा पॉलिसी प्रस्तुत करके इसकी पुष्टि की गई है। बीमा कंपनी के लिए एक बचाव उपलब्ध होने के कारण, कि उल्लंघन करने वाला वाहन किसी अधिकृत व्यक्ति और/या वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया गया था, बीमा कंपनी की ओर से उस बचाव को साबित करना अनिवार्य था और इससे भी अधिक, उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक द्वारा की गई याचिका का खंडन करना कि उल्लंघन करने वाले वाहन को चलाया जा रहा था।

6. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शार्वे सिंह और बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ऋषि मल्होत्रा को सुना है। 7. हमारे विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दे के संदर्भ में, हम पहले दावा याचिका का विज्ञापन कर सकते हैं। दावा याचिका में, का नाम

उल्लंघन करने वाले वाहन डी. आई. एल.-5955 के चालक का उल्लेख नहीं किया गया है। दावा याचिका में दावा किया गया है कि ओम प्रकाश द्वारा संचालित ट्रक No.URS-2735 को विपरीत दिशा से आ रहे आपत्तिजनक ट्रक No.DIL-5955 ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर नीचे गिरा दिया था। प्रतिवादी संख्या 1-उल्लंघन करने वाले ट्रक डी. आई. एल.-5955 के मालिक द्वारा दायर जवाब में भी उल्लंघन करने वाले ट्रक No.DIL-5955 के चालक के नाम का उल्लेख नहीं है। वास्तव में, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर उत्तर में दावा किया गया है कि वाहन No.DIL-5955 का प्रतिवादी संख्या 2 बीमा कंपनी द्वारा असीमित देयता के लिए व्यापक रूप से बीमा किया गया था। बीमा प्रमाणपत्र के विवरण का उल्लेख लिखित विवरण में किया गया है। तथापि, लिखित कथन के पैरा 18 में एक अस्पष्ट दावा किया गया है कि घटना की कथित तिथि पर, उल्लंघनकारी वाहन डी. आई. एल.-5955 को वैध ड्राइविंग परमिट रखने वाले एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया गया था।

8. दावा याचिका का विरोध करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 बीमा कंपनी द्वारा दायर लिखित बयान में यह दावा किया गया है कि दावेदार दुर्घटना की घटना और अन्य संबंधित मामलों के बारे में सख्त सबूत दिया जाना चाहिए। इसके बाद यह दावा किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 के मुख्य कार्यालय द्वारा कोई बीमा सीधे जारी नहीं किया जाता है। जिस शाखा कार्यालय द्वारा कथित रूप से वाहन का बीमा किया गया था, उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है और इसकी अनुपस्थिति में बीमा पॉलिसी का पता लगाना मुश्किल था। इसके अलावा, मूल बीमा पॉलिसी को बुलाना होगा।

1 (2004) 3 एससीसी 297 पी. ए. पी. पी. यू. बनाम।

विनोद कुमार लाम्बा [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बीमाकर्ता या वाहन के मालिक से। इसके बाद यह दावा किया जाता है कि न तो वाहन के कथित मालिक (प्रतिवादी संख्या 1) ने किसी दावे के बारे में सूचित किया है और न ही दावेदारों ने बीमा पर कोई दावा किया है।

कंपनी। जहां तक प्रतिवादी संख्या 1-उल्लंघनकारी वाहन के मालिक द्वारा लिखित कथन के पैराग्राफ 29 में की गई याचिका का संबंध है, यह किया गया है प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा निम्नलिखित रूप में दावा किया गयाः

" 29. कि याचिका में कहीं भी या याचिका के कॉलम 16 में कथित चालक का विवरण या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया गया है और विवरण के अभाव में इसके विपरीत जवाब देना काफी असंभव है।

दुर्घटना की कथित तिथि पर ड्राइविंग लाइसेंस और इसकी वैधता का पता लगाने के लिए पक्षकार, इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस यदि कोई हो और दुर्घटना की कथित तिथि पर इसकी वैधता से इनकार किया जाता है। इसका जवाब उल्टा है यदि किया जाता है तो पक्ष को किसी भी पुरस्कार के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि कथित दुर्घटना में कथित रूप से शामिल वाहन अपने अधिकृत चालक द्वारा उचित अनुमति और अपने मालिक के नियंत्रण में वैध ड्राइविंग लाइसेंस के तहत चला रहा था और

एम. वी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैध सड़क, परमिट, फिटनेस, सड़क कर आदि के तहत और कथित बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के पूर्ण अनुपालन के साथ संचालित किया गया था।

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर लिखित कथन में अन्य कथनों को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

9. इन दलीलों के आधार पर, मामला न्यायाधिकरण के समक्ष आगे बढ़ा। मान लीजिए, प्रत्यर्थी नंबर 1-वाहन के मालिक ने लिखित बयान में ली गई अपनी याचिका के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया कि उल्लंघन करने वाला वाहन एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया गया था।

वैध ड्राइविंग परमिट होना। प्रतिवादी नंबर 1 ने केवल जोगिंदर सिंह का ड्राइविंग लाइसेंस पेश किया। न्यायाधिकरण

उक्त ड्राइविंग लाइसेंस पर विज्ञापन दिया गया लेकिन पाया गया कि वाहन के मालिक ने कहीं भी यह दावा नहीं किया है कि दुर्घटना के समय ट्रक No.DIL-5955 वास्तव में उक्त जोगिंदर सिंह द्वारा चलाया गया था। के आधार पर अभिवचनों में, न्यायाधिकरण ने निर्गम संख्या 3 तैयार किया और बीमा कंपनी के पक्ष में इसका उत्तर इस प्रकार दियाः

" मुद्दा संख्या 3: चाहे ट्रक नं. डी. आई. एल.-5955 को वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया जा रहा था?

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि ट्रक नं. डी. आई. एल.-5955 ने एक जोगिंदर का मूल ड्राइविंग लाइसेंस दाखिल किया है।

सिंह लेकिन उन्होंने कहीं भी जोगिंदर सिंह [2018] 1 एस. सी. आर. का उल्लेख नहीं किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दुर्घटना के समय वह अपना ट्रक चला रहा था। मालिक ने बीमा पॉलिसी की फोटो प्रति दाखिल की है जिसमें पैराग्राफ 5 परन्तुक ए में लिखा है कि जब चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो बीमा कंपनी उत्तरदायी होगी। वाहन के मालिक ने यह साबित नहीं किया है कि उसके चालक के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था। इस मुद्दे का फैसला नकारात्मक रूप से किया जाता है।

10. न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण पर दावेदारों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष हमला किया गया था। बीमा कंपनी के दायित्व के अलावा उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अन्य विवाद नहीं उठाया गया था। द हाई टी ने रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के बाद उक्त विवाद को नकार दिया

पंखों वाले शब्दः

" 5. इस न्यायालय के समक्ष जो एकमात्र सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या बीमा कंपनी को उस ट्रक नं. डी. आई. एल. 5955 किसी व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया जा रहा था।

वैध लाइसेंस होना। इस न्यायालय को विचार करना होगा कि क्या निष्कर्ष

मुद्दा सं. के संबंध में अभिलिखित। 3 सही है या नहीं। 6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील इस बात पर विवाद नहीं कर सके कि न तो कोई अभिवचन और न ही साक्ष्य न्यायाधिकरण के समक्ष यह सुझाव देने या यह बताने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं कि उपरोक्त ट्रक श्री जोगिंदर सिंह द्वारा चलाया जा रहा था। यह विवाद में नहीं है कि उपरोक्त वाहन के मालिक ने ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया था जो

श्री जोगिंदर सिंह का नाम लेकिन किसी भी स्तर पर न्यायाधिकरण के समक्ष यह अनुरोध या रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है कि श्री जोगिंदर सिंह वह व्यक्ति था जो उपरोक्त ट्रक चला रहा था। इस तथ्य पर ध्यान दिया गया है कि

न्यायाधिकरण आक्षेपित आदेश में निम्नानुसार है।

' जोगिंदर सिंह को प्रथुत किया गया है परंतु जोगिंदर सिंह ट्रक संख्या 5955 का चालक था यह कही पर भी नहीं कहा

गया है '। 7. अपीलार्थियों के विद्वान वकील इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके। उपरोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए कि यह अनुरोध नहीं किया गया था या

न्यायाधिकरण के समक्ष साबित किया गया कि वाहन के मालिक द्वारा श्री जोगिंदर सिंह के ड्राइविंग लाइसेंस को पेश करने से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वह एक व्यक्ति था जो वाहन चला रहा था। निष्कर्ष अतः न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित किसी भी तरीके से दोषपूर्ण नहीं हो सकता है। कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया है।

11. सवाल यह हैः क्या यह तथ्य कि उल्लंघन करने वाले वाहन एनजी No.DIL-5955 का प्रतिवादी संख्या 2 बीमा कंपनी द्वारा विधिवत बीमा किया गया था, स्वयं बीमा कंपनी को उत्तरदायी बनाएगा? यह न्यायालय पी. ए. पी. पी. यू. बनाम

विनोद कुमार लाम्बा [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बचाव पक्ष लें कि उल्लंघन करने वाला वाहन किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा चलाया गया था या वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग नहीं थी लाइसेंस। उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक के अनुरोध करने और अपने ज्ञान के भीतर बुनियादी तथ्यों को साबित करने के बाद ही बीमा कंपनी पर जिम्मेदारी स्थानांतरित होगी कि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक को उसके द्वारा वाहन चलाने के लिए अधिकृत किया गया था और उसके पास संबंधित समय पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। वर्तमान मामले में, उल्लंघन करने वाले वाहन के प्रतिवादी नंबर 1 के मालिक ने लिखित बयान में केवल एक अस्पष्ट याचिका दायर की कि उल्लंघन करने वाले वाहन डी. आई. एल.-5955 को वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। उन्होंने चालक के नाम और उसके अन्य विवरण का खुलासा नहीं किया। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 ने इस याचिका के समर्थन में गवाह बॉक्स में प्रवेश नहीं किया या किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की। प्रत्यर्थी संख्या 2 बीमा कंपनी ने लिखित बयान में उस याचिका का स्पष्ट रूप से खंडन किया है और यह भी कहा है कि उल्लंघन करने वाला वाहन किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं चलाया गया था और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। उल्लङ्घन करने वाले वाहन के प्रतिवादी नंबर 1 के मालिक ने जोगिंदर सिंह के ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा कोई सबूत पेश नहीं किया, बिना किसी विशिष्ट पक्ष के या इस सबूत के कि वही जोगिंदर सिंह वास्तव में संबंधित समय पर वाहन चलाने के लिए अधिकृत था। केवल तभी जिम्मेदारी बदल जाएगी, जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 2 बीमा कंपनी को इस तरह के साक्ष्य का खंडन करने और अपने बचाव को साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता होगी। केवल उल्लंघन करने वाले ट्रक के संबंध में एक वैध बीमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना प्रतिवादी संख्या 1 के लिए पर्याप्त नहीं था ताकि बीमा कंपनी अपने वाहन के चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने से उत्पन्न होने वाले अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी हो सके। बीमा कंपनी को वैध बीमा पॉलिसी के आधार पर देयता के साथ तभी निर्धारित किया जा सकता है जब उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक द्वारा बुनियादी तथ्यों का अनुरोध किया जाता है और यह स्थापित किया जाता है कि वाहन का न केवल विधिवत बीमा किया गया था, बल्कि यह भी कि यह वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित था। लिखित विवरण में चालक के नाम का खुलासा किए बिना या इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत पेश किए बिना कि समर्थन में प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति एक ऐसे व्यक्ति की थी, जिसे वास्तव में संबंधित समय पर उल्लंघन करने वाले वाहन को चलाने के लिए अधिकृत किया गया था, वाहन के मालिक को अपने दायित्व से मुक्त नहीं कहा जा सकता है। बीमा कंपनी तभी उत्तरदायी होगी जब उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक द्वारा इस तरह के मूलभूत तथ्यों का अनुरोध किया जाएगा और साबित किया जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. वर्तमान मामले में न्यायाधिकरण ने अपीलार्थियों के दावे को स्वीकार कर लिया है। हालाँकि, इसने प्रतिवादी संख्या 2 बीमा को दोषमुक्त कर दिया है।

उचित कारणों से किसी भी दायित्व से कंपनी। उच्च न्यायालय ने भी इस विचार की पुष्टि की है। इसने ठीक ही कहा कि इस बात का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि जोगिंदर सिंह संबंधित समय पर उल्लंघन करने वाले वाहन को चला रहे थे।

13. चाहे जो भी हो, न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की मात्रा के बारे में अपीलकर्ताओं-दावेदारों (या तो उच्च न्यायालय के समक्ष या इस अपील में हमारे समक्ष) द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। इसलिए, उस मुद्दे की किसी भी तरह की जांच की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, वाहन के मालिक (प्रतिवादी संख्या 1) ने न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) के पक्ष में पुष्टि की है, इस तथ्य पर भी कि वाहन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया गया था जिसके पास संबंधित समय पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

14. अगला सवाल हैः क्या इस मामले की वास्तविक स्थिति में बीमा कंपनी को दावे का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए

राशि, वाहन के मालिक (प्रतिवादी संख्या 1) से उसी की वसूली करने की स्वतंत्रता के साथ? राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस मुद्दे का जवाब दिया गया है। उस मामले में, बीमा कंपनी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि एक बार जब बीमाकर्ता द्वारा लिया गया बचाव न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह बीमाकर्ता को मुक्त करने और केवल वाहन के मालिक और/या चालक पर दायित्व तय करने के लिए बाध्य है। हालांकि, इस अदालत ने कहा कि भले ही बीमाकर्ता अपना बचाव स्थापित करने में सफल हो जाए, लेकिन न्यायाधिकरण या अदालत बीमा कंपनी को पुरस्कार का भुगतान करने का निर्देश दे सकती है

दावेदार (ओं) को राशि और बदले में, वाहन के मालिक से उसी की वसूली करें। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे पर पहले के फैसलों का विश्लेषण करने के बाद कहा कि इस सुविचारित सिद्धांत से भटकने का कोई कारण नहीं है। पैराग्राफ 107 में, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि न्यायाधिकरण और न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ऐसा निर्देश जारी करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए।
और आने के बावजूद इस तरह का निर्देश जारी किया गया है

इस तथ्य के निष्कर्ष पर कि बीमाकर्ता यह स्थापित करने में सक्षम रहा है कि बीमित व्यक्ति ने अनुबंध का उल्लंघन किया है
अधिनियम की धारा 149 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के उप-खंड (ii) के तहत परिकल्पित बीमा कंपनी

वही पुरस्कार पी. ए. पी. पी. यू. v के निष्पादन में, जैसा भी मामला हो, वाहन के मालिक या चालक से पुरस्कृत राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

एक्ट करें। हालांकि, न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में जांच के सीमित दायरे को ध्यान में रखते हुए, यह सक्षम नहीं है ऐसा करने के लिए, बीमा कंपनी वाहन के मालिक या चालक या दोनों के खिलाफ, जैसा भी मामला हो, एक अलग कार्रवाई शुरू कर सकती है। वे असाधारण मामले तब उत्पन्न हो सकते हैं जब सबूत उपलब्ध हो जाता है या बाद के चरण में बीमाकर्ता के ध्यान में आता है या किसी न किसी कारण से बीमाकर्ता को बचाव करने का अवसर नहीं दिया गया था। इस तरह की कार्रवाई का सहारा तब भी लिया जा सकता है जब पीड़ित और वाहन के मालिक के बीच धोखाधड़ी या मिलीभगत का पता चलता है या बाद में बीमाकर्ता के संज्ञान में आता है।

इसके अलावा, अनुच्छेद No.110 में, न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

110. उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर हमारे निष्कर्षों का सारांश

इन याचिकाओं में इस प्रकार हैंः

(i) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का अध्याय 11 जो तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ वाहनों का अनिवार्य बीमा प्रदान करता है मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे द्वारा राहत देने के लिए सामाजिक कल्याण कानून। सभी वाहनों के अनिवार्य बीमा कवरेज के प्रावधान इस सर्वोपरि उद्देश्य के साथ हैं और अधिनियम के प्रावधानों को ऐसा होना चाहिए

(iii) पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन, जैसे कि धारा 149 की उप-धारा (2) (ए) (ii) में निहित चालक की अयोग्यता या चालक का अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस, बीमाकृत द्वारा बीमाकर्ता द्वारा दायित्व से बचने के लिए किया गया है। केवल अनुपस्थिति, नकली या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस या संबंधित समय पर ड्राइविंग के लिए ड्राइवर की अयोग्यता, बीमाकृत या तीसरे पक्ष के खिलाफ बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं हैं। बीमित व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होता है कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और ऐसा करने में विफल रहा।

विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक या संबंधित समय पर वाहन चलाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराए गए व्यक्ति द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में नीति की शर्त को पूरा करने के मामले में उचित देखभाल, [2018] 1 एस. सी. आर.

(iv) हालांकि, बीमा कंपनियों को अपने दायित्व से बचने के लिए न केवल उक्त कार्यवाही में उठाए गए उपलब्ध बचाव (ओं) को स्थापित करना चाहिए, बल्कि वाहन के मालिक की ओर से 'उल्लंघन' भी स्थापित करना चाहिए। (v) न्यायालय इस बारे में कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता है कि उक्त बोझ का निर्वहन कैसे किया जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(vi) यहां तक कि जहां बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति की ओर से चालक द्वारा वैध लाइसेंस रखने या उस अवधि के दौरान वाहन चलाने की उसकी योग्यता के संबंध में पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन साबित करने में सक्षम है।

प्रासंगिक अवधि में, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से बचने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त पर उक्त उल्लंघन या उल्लंघन इतना मौलिक न हो कि दुर्घटना के कारण में योगदान दिया हो। न्यायाधिकरणों में

नीतिगत शर्तों की व्याख्या करने से "मुख्य उद्देश्य का नियम" और "मौलिक उल्लंघन" की अवधारणा लागू होगी।

(vii) यह सवाल कि क्या मालिक ने यह पता लगाने के लिए उचित सावधानी बरती है कि क्या चालक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस (नकली या अन्यथा) आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। प्रत्येक मामले में कानून का निर्धारण करना होगा या नहीं।

(viii)

XXX

(ix)

XXX

उप-धारा (7) के साथ पठित धारा 149 (2) के प्रावधानों के अनुसार अपने बचाव को संतोषजनक रूप से साबित करते हुए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ऊपर व्याख्या की गई है, न्यायाधिकरण निर्देश दे सकता है कि बीमाकर्ता मुआवजे और अन्य राशियों के लिए बीमाकृत द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है जो उसे पुरस्कार के तहत तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया है।

न्यायाधिकरण द्वारा दावे का ऐसा निर्धारण प्रवर्तनीय होगा और बीमाकृत से बीमाकर्ता को देय धन न्यायाधिकरण द्वारा पी. ए. पी. पी. यू. v के तहत कलेक्टर को जारी किए गए प्रमाण पत्र पर उसी तरह से वसूल किया जाएगा।

विनोद कुमार लाम्बा [ए. एम. खानविलकर, जे.]

बीमाकर्ता के पक्ष में तीस दिनों के भीतर प्रदान किया गया न्यायाधिकरण द्वारा पुरस्कार की घोषणा की तिथि।

(xi) उप-धारा (4) में परंतुक के साथ निहित प्रावधान

इसके अधीन और उप-धारा (5) जिसके अंतर्गत आने का इरादा है

सक्षम करने के लिए उसमें उल्लिखित निर्दिष्ट आकस्मिकताएँ बीमाकर्ता अनुबंध के तहत भुगतान की गई राशि की वसूली करेगा

बीमित व्यक्ति की ओर से बीमा का सहारा लिया जा सकता है।

न्यायाधिकरण द्वारा और दावों और बचावों तक विस्तारित किया जाए

परिस्थितियों के बीच उनके दावों का न्यायनिर्णयन पीड़ितों के दावों के निर्णय में देरी करना।

(जोर दिया गया)

15. वर्तमान मामले में, वाहन का मालिक (प्रतिवादी)

नं. 1) ने बीमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था जो दर्शाता है कि वाहन नं. डी. आई. एल.-5955 का प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा व्यापक रूप से बीमा किया गया था।

(बीमा कंपनी) असीमित देयता के लिए। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) दावे की राशि का भुगतान करेगा।

न्यायाधिकरण द्वारा अपीलार्थियों को पहली बार में, कानून के अनुसार वाहन के मालिक (प्रतिवादी संख्या 1) से उसी की वसूली करने की स्वतंत्रता के साथ दिया गया।

16. तदनुसार, अपील को इस हद तक अनुमति दी जाती है कि

न्यायाधिकरण द्वारा प्रदत्त और द्वारा पुष्टि की गई मुआवजे की राशि

उच्च न्यायालय को बीमाकर्ता (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा पहली बार में भुगतान और संतुष्ट किया जाएगा, कानून के अनुसार वाहन के मालिक (प्रतिवादी संख्या 1) से उसी की वसूली करने की स्वतंत्रता के साथ।

17. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है जिसमें नहीं

लागत के बारे में आदेश दें।

अपील का निपटारा किया गया।

निधि जैन